रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052026-272914
CG-DL-E-29052026-272914

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2588] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948
No. 2588] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

का.आ. 2681(अ).— औषध विभाग द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण), 2013 के पैरा 31 के अंतर्गत पारित इसमें नीचे सारणी के स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट आदेशो के द्वारा जारी पुनर्विलोकन आदेशो के संदर्भ में दिये गए निर्देशो के कार्यान्वियन में और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का. आ. 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सारणी के स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट संख्या और तारीख, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेशो के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय, अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), इसके द्वारा वर्ष 2026 के लिए 0.64956% की दर से डब्ल्यूपीआई प्रभाव सहित कीमत को तय/संशोधित करता है जैसा कि नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमश: तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक पर लागू वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती हैः

सारणी

क्र. स.	दवाइयाँ	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.) एनएलईएम 2022 के अंतर्गत	पुनर्विलोकन आदेश और 0.64956% डब्ल्यूपीआई के अनुसार संशोधित अधिकतम मूल्य (रुपये में)	पुनर्विलोकन आदेश सं. एवं तारीख	मौजूदा का. आ. सं. एवं तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बेंज़ैथिन बेंज़िलपेनिसिलिन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 6 लाख यूनिट	1 वायल	11.97	13.42	31015/06/2024 मूल्य निर्धारण तारीख 20.03.2026	1575(अ) तारीख 25.03.2026 (क्र.स.95)

नोट:

(क) अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के सभी निर्माता, जो ब्रांडेड या जेनेरिक या अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के दोनों रूपों को सरकार द्वारा इस प्रकार निर्धारित और अधिसूचित अधिकतम मूल्य (वस्तु और सेवा कर के साथ) से अधिक कीमत पर बेच रहे हैं, ऐसे सभी फॉर्मूलेशनों की कीमतों को इस प्रकार संशोधित करेंगे जो उपरोक्त सारणी में कॉलम (6) में निर्दिष्ट अधिकतम मूल्य (वस्तु और सेवा कर अलग से, यदि कोई हो) से अधिक नहीं होंगे।

(ख) उपरोक्त अनुसूचित फॉर्मूलेशन के सभी मौजूदा निर्माता जिनकी एमआरपी उपरोक्त तालिका में कॉलम (6) में निर्दिष्ट अधिकतम मूल्य से कम है, साथ ही वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई हो, डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 13 (2) के अनुसार मौजूदा एमआरपी को बनाए रखना जारी रखेंगे।

(ग) निर्माता वस्तु एवं सेवा कर तभी जोड़ सकते हैं जब यह उपरोक्त सारणी के कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकतम मूल्य पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया हो या देय हो।

(घ) अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के एक पैकेट के लिए अधिकतम मूल्य संबंधित निर्माता द्वारा डीपीसीओ 2013 के पैरा 11 में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त सारणी के कॉलम (5) में निर्दिष्ट अधिकतम मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। निर्माता डीपीसीओ 2013 के पैरा 24 के अनुसार अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से एनपीपीए को प्रपत्र-5 में मूल्य सूची जारी करेगा और राज्य औषधि नियंत्रक और विक्रेताओं को एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

(ङ) डीपीसीओ 2013 के पैरा 24 (4) के अनुसार, प्रत्येक खुदरा विक्रेता और विक्रेता निर्माता द्वारा प्रस्तुत मूल्य सूची और पूरक मूल्य सूची, यदि कोई हो, परिसर के उस विशिष्ट भाग में प्रदर्शित करेंगे जहां वह इस तरह से व्यवसाय करता है ताकि किसी भी व्यक्ति के लिए आसानी से सुलभ हो सके जो उससे परामर्श करना चाहता है।

(च) जहां उपरोक्त सारणी में निर्दिष्ट अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के खुराक या शक्ति या दोनों का कोई मौजूदा निर्माता डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2 (1) (यू) के अनुसार एक नई दवा शुरू करता है, तो ऐसा मौजूदा निर्माता डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-II के तहत निर्दिष्ट प्रपत्र-I में एनपीपीए को ऐसी नई दवा के पूर्व मूल्य अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा।

(छ) उपरोक्त अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के निर्माता आईपीडीएमएस के माध्यम से डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-II के प्रपत्र-III में अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के उत्पादन/आयात और बिक्री के संबंध में एनपीपीए को तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त अनुसूचित फॉर्मूलेशनों का उत्पादन बंद करने का इरादा रखने वाला कोई भी निर्माता डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-II के प्रपत्र-IV में अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के उत्पादन और/या आयात को बंद करने के संबंध में एनपीपीए को कम से कम छह महीने पहले जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(ज) ऊपर निर्दिष्ट अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करने वाले निर्माता आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के तहत ब्याज के साथ अधिप्रभारित राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(झ) इस अधिसूचना में उपरोक्त सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट किए गए ऐसे फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य जारी करने के परिणामस्वरूप, उपरोक्त अधिसूचना की तारीख से पहले जारी अधिकतम मूल्य या खुदरा मूल्य, यदि कोई हो, निर्धारित करने वाले मूल्य आदेश का स्थान ले लिया गया है।

[फा.सं. 8(146)/2026/डीपी/एनपीपीए-डिवी-II]

भीवा राम यादव, सहायक निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 27th May, 2026

S.O. 2681(E).— In implementation of directions of review order issued by the Department of Pharmaceuticals (DOP) under para 31 of Drugs (Prices Control) Order, 2013 vide order specified in column (7) of the table below and in exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. No. and date specified in the Column (8) of the table, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes/revises the price including WPI impact @0.64956% for the year 2026 as specified in column (6) of the table herein below as ceiling price exclusive of Goods and Services Tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Medicines	Dosage form & Strength	Unit	Ceiling Price under NLEM, 2022 (Rs.)	Revised Ceiling price based on Review Order & considering WPI @0.64956% (Rs.)	Review Order number and date	Existing SO number and date
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Benzathine benzylpenicillin	Powder for Injection 6 lac units	1 Vial	11.97	13.42	31015/06/2024-Pricing dated 20.03.2026	1575(E) dated 25.03.2026 (Sl. No. 95)

Note:

(a) All manufacturers of scheduled formulations, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus Goods and Services Tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not

exceeding the ceiling price specified in column (6) in the above table plus Goods and Services Tax as applicable, if any.

(b) All the existing manufacturers of above-mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (6) in the above table plus Goods and Services Tax as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.

(c) The manufacturers may add Goods and Services Tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (6) of the above said table.

(d) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form–V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.

(e) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.

(f) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.

(g) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.

(h) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.

(i) Consequent to the issue of ceiling prices of such formulations as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[F. No. 8(146)/2026/D.P./NPPA-Div.-II]

BHIVA RAM YADAV, Assistant Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.05.29 14:32:05 +05'30'